राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 145/2020

घनश्याम मालव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बारां, जिला बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.01.2020
आदेश की दिनांक : 17.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2011 (अनुलग्नक–1) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर नियुक्त किया गया तथा उसने दिनांक 14.10.2011 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बेटा, ब्लॉक शाहबाद, जिला–बारां में कार्यभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.12.2013 (अनुलग्नक–2) द्वारा उक्त पद पर स्थायी किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 02.09.2016 को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा दिनांक 02.09.2016 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़गांव, ब्लॉक अन्ता, जिला–बारां में व्याख्याता (संस्कृत) के पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। आदेश दिनांक 17.10.2016 द्वारा अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800/– का लाभ दिया गया (अनुलग्नक–3 एवं 4)। अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायथल, ब्लॉक अन्ता, जिला बारां में व्याख्याता (हिंदी) के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी ने इस संबंध में संबंधित प्रिंसिपल को दिनांक 05.09.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर भी पदोन्नत किया गया था और उसे व्याख्याता (संस्कृत) के पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया था और संबंधित प्रिंसिपल को भी दिनांक 05.09.2016 का आवेदन अंकित किया गया था (अनुलग्नक–7 एवं 8)। अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2018–19 में

आदेश दिनांक 09.07.2018 द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी को इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्याख्याता (संस्कृत) आरआर डीपीसी वर्ष 2016–17 के पद पर शामिल हुआ था। इसके बाद, संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 14.09.2018 को आदेश पारित किया और प्रत्यर्थी विभाग को व्याख्याता (हिंदी) के पद के लिए छोड़ दिया गया (अनुलग्नक–9 एवं 10)। प्रत्यर्थी विभाग को नियमित डीपीसी वर्ष 2019–2020 में व्याख्याता (संस्कृत) के पद के लिए आरआर उम्मीदवार के लिए आदेश दिनांक 24.06.2019 के अनुसार पुष्टि जारी की गई थी। लेकिन अपीलार्थी का नाम नियमित डीपीसी वर्ष 2019–20 में व्याख्याता (संस्कृत) के पद के लिए चयनित उम्मीदवार की इस सूची में शामिल नहीं किया गया। आलौच्य आदेश दिनांक 24.06.2019 (अनुलग्नक–11) द्वारा आरआर डीपीसी में वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्कृत विषय में पदोन्नति प्रदान की गई और उसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध उसे आरआर डीपीसी में हिन्दी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने हिन्दी पदोन्नति के परित्याग हेतु प्रत्यर्थी विभाग को लिखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे हिन्दी विषय की वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमे उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग को विभिन्न पदों और विभिन्न वर्षों में समीक्षा डीपीसी के लिए दिनांक 15.11.2019 (अनुलग्नक–13) को सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन इस सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं है। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता जरिये पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 31.12.2019 (अनुलग्नक–14) द्वारा न्याय की मांग के लिए नोटिस प्रस्तुत किया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब नहीं दिया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी ने त्रुटि की है, क्योंकि अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर नियमित पदोन्नति डीपीसी वर्ष 2019–20 का अधिकारी है, क्योंकि अपीलार्थी पूर्व में आरआर डीपीसी वर्ष 2016–17 के अंतर्गत रिक्तियों के विरुद्ध व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर नियुक्त हुआ था। इस आधार पर दिनांक 24.06.2019 के आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। यह कानून के प्रावधान के विरुद्ध मनमाने ढंग से पारित किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 24.06.2019 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 25 के उप नियम 11 बी के अन्तर्गत रिव्यू व रिवीजन के आधार पर आगामी चयन वर्ष की अन्तिम तिथि अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने तक, इनमें से जो भी

पहले हो, तक की अवधि हेतु अस्थाई पदोन्नति हेतु निर्मित आरक्षित सूची में नाम सम्मिलित होने पर पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के आधार पर पूर्णतया अस्थाई रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी, यह पदोन्नति आगामी चयन वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु डीपीसी बैठक दिनांक 30.06.2017 को आयोजित होने की तिथि को नियमानुसार निष्प्रभावी हो चुकी थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.07.2018 की जानकारी नही थी। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर उक्त पदौन्नति पर कार्यग्रहण नही किया गया। अपीलार्थी प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत की चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों पर चयन हेतु नियमित डीपीसी में वरिष्ठातानुसार चयन का पात्र नही बना क्योंकि उक्त चयन वर्ष की रिक्तियों के प्रति अपीलार्थी के समान वर्ग हेतु निर्धारित निक्तियों के प्रति अंतिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता क्रमांक 642 अवधि 2011–12 रहा है, जबकि अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 5995 अवधि 2.11–12 है। अपीलार्थी प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठतानुसार नियमित डीपीसी में चयन का पात्र बना एवं अपीलार्थी को चयनोपरान्त पदोन्नति भी प्रदान की गई, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया। उक्त पदोन्नति का परित्याग करने के कारण नियमानुसार अपीलार्थी आगामी दो भर्ती वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में पदोन्नति पाने का अधिकारी नहीं रहा है। अतः अपीलार्थी द्वारा चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के पद नियमित पदोन्नति दिये जाने सम्बंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 24.06.2019 (अनुलग्नक–11) को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा आरआर डीपीसी में वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्कृत विषय में पदोन्नति प्रदान की गई, जिस पर अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध उसे आरआर डीपीसी में व्याख्याता हिन्दी के पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने हिन्दी विषय में पदोन्नति के परित्याग हेतु प्रत्यर्थी विभाग को लिखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का व्याख्याता (हिन्दी) विषय की वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध नियमित पदोन्नति प्रदान की गई, जिस पर अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। अपीलार्थी का यह कथन है कि जब अपीलार्थी ने हिन्दी विषय में आरआर डीपीसी

हेतु वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई पदोन्नति का परित्याग कर दिया तो दो वर्ष तक प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं कर सकता। अतः रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध व्याख्याता (हिन्दी) पर दी गई पदोन्नति नियम विरूद्ध है और उसे वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्कृत के विषय में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि अपीलार्थी को नियमित डीपीसी में वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध हिन्दी विषय में अपीलार्थी का व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई। इस पदोन्नति को अपीलार्थी ने स्वीकार नहीं किया गया जिस कारण आगामी दो वर्षों तक अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु नियमानुसार विचार नहीं किए जाने से अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की संस्कृत व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और विभाग द्वारा की गई पदोन्नति नियमानुसार होने से अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी की आरआर डीपीसी रिक्ति वर्ष 2016–17 में व्याख्याता हिन्दी के पद पर दी गई पदोन्नति का परित्याग किया गया है तो नियमानुसार दो वर्ष तक अपीलार्थी के प्रकरण में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलार्थी के वर्ष 2017–18 व 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जा सकता। लिहाजा वर्ष 2018–19 में व्याख्याता हिन्दी के पद पर अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति नियमानुसार नहीं है। अपीलार्थी के प्रकरण में वर्ष 2019–20 या उसके बाद ही पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है। अतः हम यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना नियमानुसार नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति उस तिथि से प्रदान की जावे जिस तिथि से अपीलार्थी के कनिष्ठों को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं उसे पदोन्नति के फलस्वरूप देय समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य